



सं. ए 60011/80/2011/एचआरपीसी/81

दिनांक 16 मार्च, 2021

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उत्तरी/पश्चिमी/पूर्वी/दक्षिणी/उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
नई दिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
रे.नि.वि.ए./उ.नि.ए,
नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कोलकाता/चेन्नई हवाई अड्डा

निदेशक
भारतीय विमानन अकादमी
नई दिल्ली

प्रधानाचार्य,
नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय (सीएटीसी)
बमरौली, प्रयागराज

महाप्रबंधक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
के.रे.भं.डि./वि.एवं यां.कार्यशाला
नई दिल्ली

नि.मा.सं.प्र.परिपत्र सं. 9/2021

विषय: अधिवार्षिता लाभ योजना (एसबीएस) – भाविप्रा कर्मचारी अंशदान योजना (AAIEDCS) संबंधी

नि.मा.सं.प्र.परिपत्र सं.20/2018 दिनांक 07 जून 2018 के संदर्भ में, भाविप्रा बोर्ड ने अपनी 199 वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया है कि यदि एएआईडीसीएस के तहत भाविप्रा के अधिवार्षिता प्राप्त/सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों की कॉर्पस राशि प्रत्येक दावे के निपटान के समय रुपये 2,00,000/- (रुपये 2 लाख) से कम है तो, ऐसे मामलों में अधिवार्षिता प्राप्त/सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी के नामिती द्वारा अनुरोध किए जाने पर कॉर्पस राशि लौटाने की अनुमति दी जाए।

2. इसके अलावा, दावे का निपटान करने के बाद, प्रतिदाय या वार्षिकी नीति के कारण, जैसा भी मामला हो, एसबीएस ट्रस्ट को ऐसे किसी अधिवार्षिता प्राप्त/सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी के संबंध में अन्य कोई और बकाया प्राप्त होता है, जिसने अपनी कॉर्पस राशि वापिस ले ली है तो ऐसे अधिवार्षिता प्राप्त/सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी के नामिती फिर से अपनी कॉर्पस राशि की वापसी के लिए अनुरोध कर सकते हैं (अर्थात ट्रस्ट द्वारा अर्जित ब्याज सहित देय राशि, यदि कोई हो तो) बशर्ते कॉर्पस राशि रु 2,00,000/- (रुपये 2 लाख) से कम हो। (इस संबंध में उदाहरण सहित स्पष्टीकरण अनुबंध -1 के रूप में संलग्न है)

आर. ३५

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

आर. प्रभु

(आर. प्रभु)

कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

वितरण: -

- ❖ अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य अधिकारी
- ❖ सदस्य (मा.सं.) / सदस्य(प्रचालन) / सदस्य(योजना) / सदस्य (एएनएस) / सदस्य(वित्त) / मुख्य सतर्कता अधिकारी के उ.म.प्र.(का.स.)
- ❖ निगमित मुख्यालय/ प्रचालन कार्यालय/भाविप्रा कार्यालय परिसर में सभी विभागाध्यक्ष
- ❖ का. नि. (वित्त)
- ❖ का. नि.(मा. सं -II) /निगमित मुख्यालय में सभी म.प्र. (मा.सं.)
- ❖ म.प्र. (मा.सं.)- सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ -आवश्यक कार्रवाई हेतु
- ❖ म.प्र. (सू.प्रौ.)-भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- ❖ एसबीएस ट्रस्ट
- ❖ महासचिव,एएईयू / महासचिव,आईएकेयू/ महासचिव,एएआईईजी/ महासचिव,एटीसीजी (आई)/ महासचिव, आईएएआईओए/ महासचिव, एएआई एससी/एसटी/ईडबल्यूए / महासचिव, एएआई एससी/एसटी/ओबीसी (एनई) ईडबल्यूए

नोट: विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अधिकृत माना जाएगा।

उदाहरण 1:

एक कर्मचारी के पास अंतिम निपटान के समय 1.90 लाख रुपये का कॉर्पस (एसबीएस कार्ड समापन शेष) है और उसने अपने कॉर्पस के प्रतिदान (रिफंड) के लिए अनुरोध किया तथा उसे कॉर्पस वापस कर दिया गया। तदनुसार, 1.90 लाख रुपये लौटाने के बाद, मान लीजिए छह महीने पश्चात यदि एसबीएस ट्रस्ट को ब्याज के रूप में रुपये 50,000/- की ईडीसीपी बकाया राशि प्राप्त होती है, तो कर्मचारी इस रुपये 50,000/- की राशि के लिए फिर से प्रतिदान (रिफंड) का अनुरोध कर सकता है।


उदाहरण 2:

एक कर्मचारी के पास अंतिम निपटान से पहले 1.90 लाख रुपये का कॉर्पस (एसबीएस कार्ड समापन शेष) है। इस बीच में उसे ब्याज के रूप में रुपये 50,000/- की ईडीसीपी बकाया राशि प्राप्त होती है तो उसका अद्यतन कॉर्पस रु 2.40 लाख हो जाएगा। ऐसे कर्मचारी कॉर्पस राशि की वापसी के लिए पात्र **नहीं** होंगे।

उदाहरण 3:

एक कर्मचारी के पास वार्षिकी नीति के माध्यम से, अंतिम निपटान के समय 10 लाख रुपये का कॉर्पस (एसबीएस कार्ड समापन शेष) है। यदि 10 लाख रुपये की पॉलिसी जारी करने के बाद मान लीजिए छह महीने पश्चात यदि एसबीएस ट्रस्ट को ब्याज के रूप में रुपये 50,000/- की ईडीसीपी बकाया राशि प्राप्त होती है, तो कर्मचारी इस रुपये 50,000/- की राशि के लिए प्रतिदान (रिफंड) का अनुरोध कर सकता है।

आइ. ए. ए.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं.ए.60011/80/2011/पीपी/168

07 जून, 2018

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उत्तरी /पश्चिमी /पूर्वी / दक्षिणी/ उत्तर-पूर्वी
नई दिल्ली /मुंबई /कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
आरसीडीयू/एफआईयू,
नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कोलकाता/चेन्नई हवाईअड्डा

निदेशक
भारतीय विमानन आकदमी
नई दिल्ली

प्रधानाचार्य
नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय (सीएटीसी)
बमरौली, इलाहाबाद

महाप्रबंधक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
सीआरएसडी/वि.एवं यां कार्यशाला
नई दिल्ली

निगमित मानव संसाधन प्रबंधन परिपत्र सं. 20/2018

विषय: अधिवर्षिता लाभ योजना (एसबीएस) का आरंभ - भाविप्रा कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजना (भाविप्राईडीसीएस)।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रबंधन द्वारा डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.11.2008, 02.04.2009, 21.5.2014 तथा 03.08.2017 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देश/ अनुदेशों के आधार पर नागर विमानन मंत्रालय के पत्र सं एवी-24032/578/2015-भाविप्रा-एमओसीए दिनांक 26/02/2018 द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों के संबंध में दिनांक 01.01.2007 से भाविप्रा में अधिवर्षिता लाभ योजना (एसबीएस) का आरंभ - भाविप्रा कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजना (भाविप्राईडीसीएस) को आरंभ करने की सहर्ष घोषणा की जाती है।

उक्त योजना को अंशदान योजना से परिभाषित किया जाता है। इस योजना के तहत अधिवर्षिता योजना की शर्तों के अनुसार पेंशन की राशि प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में उसके/उसकी अधिवर्षिता/अलगवाव जैसा भी मामला हो की तारीख पर एकत्रित राशि पर निर्भर होगी।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

2. प्रभावी तिथि

1. यह योजना जनवरी 1, 2007 से प्रभावी होगी।

3. पात्रता:

1. यह योजना 01.01.2007 को भाविप्रा के रोल पर सभी नियमित कर्मचारियों (बोर्ड सदस्यों सहित) अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों बशर्ते कि ऐसे कर्मचारियों की सीपीएसई में कुल अवधि भाविप्रा में सेवा सहित 15 वर्षों से कम न हो। तथापि, डीपीई के कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XIII/17 दिनांक 03/08/2017 (पैस सं.12.2) के अनुसार कथित योजना के अंतर्गत पेंशन हेतु अधिवर्षिता और सीपीएसई में न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा संबंधी आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है।

अतः 01.01.2007 से 02.08.2017 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक हेतु सीपीएसई में 15 वर्षों की सेवा की अपेक्षाएं लागू होंगी तथा राष्ट्रपति के आदेशों की तिथि अर्थात् 03.08.2017 से अधिवर्षिता की अपेक्षाएं तथा सीपीएसई में न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा योजना के अंतर्गत लाभ हेतु पात्रता को समाप्त कर दिया गया है।

II. ऐसे कर्मचारी जिन्होंने डीजीसीए तथा एनएए/भाविप्रा में संयुक्त सेवा के आधार पर सरकारी पेंशन का विकल्प लिया है, वे ईपीएफओ पेंशन, ईपीएस 95 पेंशन सहित भाविप्रा की किसी भी, अधिवर्षिता लाभ योजना पेंशन अथवा भविष्य में मिलने वाले ऐसे किसी भी लाभ के पात्र नहीं होंगे।

4. अंशदान

I. भाविप्रा का अंशदान: त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अनुशासनिक कार्यवाहियों, लंबित मुकदमों, अथवा अचानक गुम होने अथवा माह जिसमें प्राधिकरण द्वारा योजना तथा ट्रस्ट डीड अधिसूचित की गई हो, जो भी पहले हो, के कारणों को छोड़कर, कर्मचारियों की पिछली सेवा के संबंध में प्राधिकरण द्वारा प्रवेश की तिथि से आरंभ होकर सेवानिवृत्ति के अंतिम माह तक आरंभिक अंशदान का भुगतान किया जाएगा।

II. भाविप्रा द्वारा प्रत्येक कार्मिक की अधिवर्षिता की उम्र तक देय राशि (मूल वेतन+डीए) के प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा। प्रबंधन द्वारा इसका निर्णय प्रचलित डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा अंशदान की वार्षिक दर प्रत्येक वर्ष, सामर्थ्य के आधार पर, अधिसूचित की जाएगी।

III. 01.01.2007 से 31.12.2016 की अवधि हेतु प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में प्राधिकरण द्वारा देय राशि कर्मचारी के (मूल वेतन+डीए) के 10% की दर से होगी। 01.01.2017 से अंशदान की दर प्रबंधन द्वारा बाद में लिए गए अनुमोदन के अनुसार अधिसूचित होगी।

IV. कर्मचारी का अंशदान: कर्मचारी 01.04.2018 से स्वैच्छिक योगदान कर सकता है जो कि (मूल वेतन+डीए) के 10% से अधिक नहीं होगा बशर्ते कि वह उस वर्ष भाविप्रा के द्वारा दिए गए अधिकतम अंशदान के अधीन हो।

5. नामांकन: प्रत्येक कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत एक या अधिक नामिती नियुक्त कर सकता है जो कि उसके/उसकी पति/पत्नी, बच्चों अथवा आश्रित होंगे और सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

6. योजना के अंतर्गत लाभ

I. इस योजना का प्रबंधन "भाविप्रा कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता ट्रस्ट" नामक ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा।

II. ट्रस्ट का गठन किया जाएगा तथा इसमें अध्यक्ष तथा ट्रस्टीज़ होंगे जिनकी नियुक्ति ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ के रूप में प्रबंधन द्वारा की जाएगी। "भाविप्रा कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता ट्रस्ट" नामक ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा ट्रस्टीज़ को नियुक्त की करने शक्ति अध्यक्ष, भाविप्रा के पास निहित होगी।

III. कथित योजना में कर्मचारी का व्यक्तिगत खाता खोला जाएगा और नियुक्ता/कर्मचारी के स्वैच्छिक अंशदान, यदि कोई हो, को ट्रस्ट के माध्यम से सदस्य के व्यक्तिगत खाते में जमा किया जाएगा और उसका/उसकी सेवा अवधि के दौरान उनकी सामान्य सेवानिवृत्ति की तारीख तक देय होगा। मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए एवं अनुमोदित आई आर डी ए बीमा कंपनी से ट्रस्ट द्वारा व्यक्तिगत खाते में राशि जमा करने हेतु वार्षिक भूति खरीदी जाएगी।

IV. ट्रस्टीज़ सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन माह पूर्व सदस्य के पास उपलब्ध पेंशन विकल्प मांगेगा तथा इस योजना के तहत पेंशन विकल्प का उपयोग करने वाले सदस्य के लिखित नोटिस के साथ बीमाकर्ता को सूचित किया जाएगा, जिसमें नामांकित व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सदस्य द्वारा साक्ष्य दिए जाएंगे।

7. अन्य निबंधन एवं शर्तें:

I. केन्द्रीय /राज्य सरकार से भाविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा।

II. सीपीएसई से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिक हेतु जहां ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसे मामले में, भाविप्रा योजना के अंतर्गत कोई भी योगदान देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जबकि अन्य सीपीएसई से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों हेतु, जहां इस प्रकार की योजना है, ऐसे मामले में, प्रत्येक वर्ष ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित दर पर भाविप्रा द्वारा अंशदान दिया जाएगा। तथा, यदि कार्मिक स्वैच्छापूर्वक अंशदान देना चाहता है, तो उसे भाविप्रा ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार, ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।

III. यदि भाविप्रा का कर्मचारी किसी अन्य सीपीएसई में प्रतिनियुक्ति पर जाता है (जहां इस प्रकार की योजना है अथवा नहीं है) तो भाविप्रा प्रतिनियुक्ति की अवधि हेतु किसी भी प्रकार का अंशदान देने के लिए उत्तरदायी नहीं देगा। परंतु, यदि कर्मचारी स्वैच्छापूर्वक इस योजना के अंतर्गत अंशदान देना चाहता है तो उक्त योजना की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उसे ऐसा करने की अनुमति होगी।

IV. इस योजना के लाभों को लेने के लिए सीपीएसई में कुल सेवा की गणना करने के प्रयोजन हेतु भाविप्रा में शामिल होने से पहले सरकार में की गई सेवा की अवधि की गणना नहीं की जाएगी।

V. यदि कोई कर्मचारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सेवाओं से त्यागपत्र देता है तथा ऐसे सीपीएसई में कार्यभार ग्रहण करता है, जहां इस प्रकार की व्यापक योजना है, तो नियोक्ता एवं कर्मचारी की संपूर्ण राशि का अंशदान एवं इस पर उपार्जित ब्याज राशि सहित ऐसे सीपीएसई को हस्तांतरित की जा सकती है। तथापि, ऐसे कर्मचारी जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से त्याग पत्र देते हैं और अन्य सीपीएसई में कार्यभार ग्रहण करते हैं, जहां ऐसी योजना नहीं है अथवा कोई संगठन जो सीपीएसई न हो (बावजूद इसके कि उस संगठन में ऐसी योजना विद्यमान हो) ऐसे एकत्रित फंड के लाभ को हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, कर्मचारी अंशदान, यदि कोई हो, कर्मचारी को उस पर उपार्जित ब्याज सहित लौटाया जाएगा।

VI. योजना के अंतर्गत नियमित सदस्य की यदि मृत्यु हो जाती है, स्थायी रूप से विकलांग या असक्षम हो जाता है और अधिवर्षिता से पूर्व भाविप्रा में की गई सेवा सहित सीपीएसई में 15 वर्षों की सेवा से पहले ही उसकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं, तो उसे योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जा सकते हैं।

VII. वीआरएस/वीएसएस के मामले- 50 वर्ष एवं 60 वर्ष के बीच वीआरएस लेने वाले कार्मिक अधिवर्षिता लाभ योजना प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

VIII. यदि कर्मचारी 50 वर्ष की आयु से पहले वीआरएस लेता है तो वार्षिकी (annuity) सदस्य के स्वैच्छिक योगदान तथा इसके ब्याज यदि कोई हो, पर आधारित होगी।

IX. ऐसे कर्मचारी जिसके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के समय अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, को योजना के अंतर्गत लाभ की ग्राह्यता भाविप्रा कर्मचारी (आचरण, अनुशासन तथा अपील) विनियम, 2003 के अनुसार कार्यवाही के परिणाम के आधार पर समंजित की जाएगी।


X. त्यागपत्र के मामले में (तकनीकी औपचारिक खंड में शामिल त्यागपत्र को छोड़कर) तथा अनुशासनिक कार्यवाही के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्ति, हटाने, बर्खास्तगी, के मामले में सदस्य के स्वैच्छिक योगदान तथा इसके ब्याज पर यदि कोई हो केवल एन्युटी आधारित होगी, यदि कोई हो।

8. इस योजना में सदस्यता भाविप्रा में रोजगार के साथ सह-टर्मिनस होगी।

: 4 :

9. आगे, प्रभावित कर्मचारी के मूल वेतन से अतिरिक्त वेतनवृद्धि की राशि से कटौती के बाद कर्मचारी के खाते में अंशदान इस आदेश के अनुसार दिनांक 12.07.2016 से किया जाएगा तथा अतिरिक्त वेतनवृद्धि की राशि से कटौती कर एक अलग खाते में रखा जाएगा तथा इसे तदनुसार डील किया जाएगा क्योंकि यह मामला कैबिनेट के निर्णय तथा दी गई अतिरिक्त वेतनवृद्धि के नियमतीकरण से संबंधित न्यायालय के निर्णय के अधीन अंतिम प्रकृति का है ।
10. प्वाइंट/ अन्य नियम एवं शर्तें जिनका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर निर्णय अध्यक्ष, भाविप्रा के अनुमोदन से ट्रस्ट/प्रबंधन द्वारा किया जाएगा ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।



(संजय जैन)

कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन)

वितरण:

- अध्यक्ष महोदय के उपमहाप्रबंधक (ईएस)
- सदस्य (योजना)/ सदस्य (वित्त) / सदस्य मानव (संसाधन)/सदस्य(एएनएस) / सदस्य (प्रचालन) /मुख्य सतर्कता अधिकारी के उमप्र (ईएस)
- कार्यपालक निदेशक (वित्त)/ निगमित मुख्यालय/प्रचालन कार्यालय / भाविप्रा कार्यालय परिसर के सभी विभागाध्यक्ष
- मप्र (आई टी) - भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु / सभी महाप्रबंधक (मा सं)
- महासचिव- एएओ(आई) /एटीसी (गिल्ड)/ भाविप्रा इंजीनियरिंग गिल्ड (आई)/आईएआईओए/ भाविप्रा अजा/अजजा एसोशिएसन

- महासचिव- एएईयू

नोट :- हिंदी अनुवाद संबंधी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अधिकृत माना जाएगा ।



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

No: A.60011/80/2011/HRPC/81

Date: 16th March, 2021

The Regional Executive Director
Airports Authority of India
Northern/Western/Eastern/Southern/North-East
Region Delhi/Mumbai/Kolkata/Chennai/Guwahati

The Executive Director,
Airports Authority of India
RCDU/FIU, New Delhi

The Airport Director
Airports Authority of India
Kolkata/Chennai Airport

The Director,
Indian Aviation Academy,
New Delhi

The Principal,
Civil Aviation Training College (CATC),
Bamrauli, Prayagraj

The General Manager,
Airports Authority of India
CRSD/E&M Workshop,
New Delhi

Corporate HRM Circular No. 09 / 2021

Subject: Superannuation Benefit Scheme (SBS) - AAI Employees Defined Contribution Scheme (AAIEDCS) – reg.

Reference to CHRM Circular No. 20/2018 dated 07th June 2018, the AAI Board in its 199th Board Meeting has resolved that, if the corpus amount of superannuated/ retired/ deceased employees of AAI under AAIEDCS is less than Rs. 2,00,000/- (INR 2 lakhs) at the time of each claim settlement then, the refund of corpus amount shall be allowed in such cases, if so requested by the superannuated/ retired/ nominee of the deceased employee.

2. Further, in case subsequent to claim settlement, by way of refund or annuity policy issue, as the case may be, if any further EDCP arrear is received by the SBS trust in respect of such superannuated/ retired/ deceased employee who has availed the refund of his/her corpus then, such superannuated/ retired/ nominee of deceased employee can again seek for refund of the corpus amount (i.e. arrear

R. Prabhu

amount plus interest earned by trust thereon, if any) in case the said corpus amount is less than Rs. 2,00,000/- (INR 2 lakhs). (An illustration is enclosed as Annexure- 1)

3. This issues with the approval of the competent authority.

R. Prabhu
(R. Prabhu)

Executive Director (HR)

Distribution: -

- ❖ OSD to Chairman
- ❖ DGM (ES) to Member(HR)/ Member(Ops)/ Member(Plng)/ Member(ANS)/ Member (Fin)/ CVO
- ❖ All HoDs at CHQ / Operational Office / AAI Office Complex
- ❖ ED (Finance)
- ❖ ED (HR-II) / All GM (HR) at CHQ
- ❖ GM(HR), Social Security Cell – for necessary action
- ❖ GM (IT) for uploading on AAI Website
- ❖ SBS Trust
- ❖ GS, AAEU/ GS, IAKU/ GS, AAIEG/ GS, ATCG(I)/ GS, IAAIOA/ GS, AAI SC/ST EWA/ GS, AAI SC/ST/OBC (NE) EWA
- ❖ Hindi version will follow

Annexure - 1

Illustration 1:

An employee has a corpus (SBS Card closing balance) of Rs. 1.90 lakhs at the time of final settlement and he/she has requested for refund of corpus and his/her corpus is refunded. Accordingly, after refund of Rs. 1.90 lakhs, in case any EDCP arrear amounting to Rs. 50,000/- is received by the SBS Trust say after six months by way of any arrear on account of interest then, the employee can seek refund again for the amount of Rs. 50,000/-.


Illustration 2:

An employee has a corpus (SBS Card closing balance) of Rs. 1.90 lakhs before final settlement. If, in the meanwhile he/she receives any EDCP arrear amounting to Rs. 50,000/- by way of any arrear on account of interest then, his/her updated corpus will be Rs. 2.40 lakhs. Such employees will NOT be eligible for refund of corpus amount.

Illustration 3:

An employee has a corpus (SBS Card closing balance) of Rs. 10 lakhs at the time of final settlement by way of issue of Annuity policy. If after the issue of policy for Rs. 10 lakhs another EDCP arrear amounting to Rs. 50,000/- is received by the SBS Trust say after six months by way of any arrear on account of interest then, the employee can seek refund for the amount of Rs. 50,000/-.

R. Prabhjy



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

OTK June, 2018

No. A.60011/80/2011/PP/168

The Regional Executive Director
Airports Authority of India
Northern/Western/Eastern/Southern/NE Region
New Delhi/Mumbai/Kolkata/Chennai/Guwahati

The Executive Director,
Airports Authority of
India
RCDU/FIU,
New Delhi

The Airport Director
Airports Authority of India
Kolkata/Chennai Airport

The Director,
Indian Aviation Academy
New Delhi

The Principal,
Civil Aviation Training College (CATC)
Bamrauli, Allahabad

The General Manager
Airports Authority of India
CRSD/E&M Workshop
New Delhi

CHRM CIRCULAR NO. 20/2018

**SUB: INTRODUCTION OF SUPERANNUATION BENEFIT SCHEME (SBS)
- AAI EMPLOYEES DEFINED CONTRIBUTION SCHEME (AAIEDCS)**

The Management of Airports Authority of India (AAI) is pleased to announce the introduction of Superannuation Benefit Scheme (SBS) - AAI Employees Defined Contribution Scheme (AAIEDCS) in AAI w.e.f. 01.01.2007 in terms of the Presidential Directives of MoCA issued vide letter no. AV-24032/578/2015-AAI-MoCA dated: 26/02/2018 based on the guidelines/ instructions issued by DPE orders vide its O.M dated 26.11.2008, 02.04.2009, 21.5.2014 and 03.08.2017.

The above scheme is a defined contribution scheme. The amount of pension under the scheme shall be dependent on the amount accumulated or accrued in respect of each employee on the date of his/her superannuation/ separation, as the case may be, in terms of Superannuation scheme.

The salient features of the scheme are as under:-

2. Effective Date:

1. The Scheme shall be effective from January 1, 2007.

3. Eligibility:

1. The Scheme is applicable to all regular employees (including Board Level) on the rolls of AAI as on 01.01.2007 or joined thereafter provided their total period in CPSEs including the period of service in

: 2:

AAI is not less than 15 years. However, the requirement of superannuation and of minimum of 15 years of service in the CPSE has been dispensed with for the pension under the said scheme as per DPE OM No. W-02/0028/2017-DPE(WC)-GL-XIII/17 dated: 03/08/2017 (para no.12.2).

Hence, the requirement of 15 years of service in CPSE is applicable for employees superannuating from 01.01.2007 till 02.08.2017 and from the date of Presidential Directive i.e.03.08.2017 the requirement of superannuation and of minimum of 15 years of service in the CPSE to be eligible for benefits under the scheme stands dispensed with.

- II. Those employees who opt for Government pension based on the combined service rendered in DGCA and NAA/AAI will not be eligible for any other Superannuation Benefit Schemes of AAI including EPFO pension, EPS 95 Pension, Superannuation Benefit Scheme pension or any other such benefits that maybe extended in future.

4. Contribution:

- I. AAI's Contribution: Initial contribution shall be paid by the Authority in respect of past services of the Employees, for the period commencing with the Entry Date till the end month of retirement, for reasons other than resignation, termination, disciplinary proceedings, suspensions, or due to sudden disappearance or the month in which the scheme and Trust Deed is notified by the Authority, whichever is earlier.
- II. The amount payable by AAI in respect of each employee upto superannuation age shall be percentage of (Basic Pay + DA). The same shall be decided by the Management as per DPE Guidelines in vogue. The yearly rate of contribution by the Authority shall be notified by the Management each year depending on affordability.
- III. The amount payable by the Authority for the period from 01.01.2007 to 31.12.2016 in respect of each employee shall be @10% of the employee's (BP + DA). The rate of contribution from 01.01.2017 onwards shall be notified as approved by the management later on.
- IV. Employee's Contribution: The employees can also make voluntary contribution from 01.04.2018 not exceeding 10% of (BP + DA) subject to a maximum of AAI's Contribution for that year.

- 5. Nomination:** Every Member shall appoint one or more nominee under the scheme who shall be his/her spouse, children or dependent's to receive the benefits hereunder in the event of death of the Member.

l

6. Benefits under the Scheme:

- I. The Scheme shall be managed by a Trust namely "AAI Employees Defined Contribution Superannuation Trust".
- II. The Trust will be formed and shall have a Chairman and Trustees who shall be appointed by the Management to act as Trustees of the Trust. The Chairman, AAI shall have powers to appoint Chairman and Trustees of trust, namely, "AAI Employees Defined Contribution Superannuation Trust."
- III. In the said scheme, an individual employee's account shall be created and the contribution of Employer/and voluntary contribution of employee, if any, shall be credited to the individual account of Member through the trust and shall be payable during his/her his service period till the their normal Retirement date. The annuity will be purchased for the amount accumulated in the individual's account by the trust from an approved IRDA insurance company for getting monthly pension.
- IV. The trustees shall seek the pension option available to the member, three months prior to the normal retirement date and shall intimate the same to the insurer with written notice of member having exercised the pension option under this scheme together with evidence by the member for appointment of the nominee.

7. Other Terms and Conditions:

- I. The Benefit of Scheme will not be extended to employees coming on deputation from Central/State Government to AAI.
- II. Officials coming on deputation from a CPSE where there is no such scheme, in that case, AAI will not be liable to make any contribution under the scheme. Whereas, officials coming on deputation from other CPSE where there is similar scheme, in that case, AAI will make contribution at the rate as notified by the trust each year. And, if the official wishes to voluntarily contribute, they will be allowed to do so as per the rates notified by AAI trust for that year.
- III. If an AAI employee moves on deputation to any other CPSE (whether having similar scheme or not), AAI will not be liable to make any contribution for the period of deputation. But, if the employee wishes to make voluntary contribution under the scheme, he will be allowed to do so as per the terms and conditions of the said scheme.

- IV. The services rendered in the Government prior to joining AAI would not count for the purpose of computation of total service in a CPSE required for availing the benefits of this scheme.
 - V. In the event of any member resigning from the service of Airports Authority of India and joining another CPSE having broadly similar scheme, the entire amount of employer's and employee's contribution along with interest accrued thereon can be transferred to such CPSE. However, employees who may resign from Airports Authority of India to join another CPSE, not having similar scheme or any organization not being a CPSE (irrespective of whether such Scheme exists in that organization) shall not be allowed the benefit of transferring the accumulated fund. However, the employee's contribution, if any, along with accrued interests shall be refundable to employee.
 - VI. In case a regular member of the scheme dies/becomes permanently disabled & incapacitated, leading to cessation of his/her service, before putting in 15 years of service in CPSE including AAI prior to superannuation, he/she may be given the benefits as admissible under the scheme.
 - VII. Cases of VRS/VSS - officials who take VRS between the age of 50 and 60 years are eligible for the Superannuation Benefit scheme.
 - VIII. The employees who take VRS before attaining the age of 50 years, the annuity would be based only on member's voluntary contributions, if any, and interest thereon.
 - IX. The admissibility of benefits under the scheme to the employees against whom disciplinary proceedings are pending at the time of superannuation is to be regulated based on the outcome of proceedings as per AAI Employees (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 2003.
 - X. In case of resignation (excluding resignation covered under 'technical formality clause') and compulsory retirement, removal, dismissal because of disciplinary proceedings, the annuity would be based only on member's voluntary contributions, if any, and interest thereon.
8. The membership in the scheme shall be co-terminus with the employment of Member with AAI.
9. Further, the contribution in the account of an employee will be made after deducting the amount of additional increments from affected employee's basic in accordance with this office order dated 12.07.2016 and the deducted amount of additional increments will be kept aside in a separate account and will be dealt accordingly as this exercise is provisional in nature subject to the decision of the Cabinet in the matter
- f


: 5:

and the outcome of the Court Cases related to regularization of additional increments granted.

10. The points/other terms and conditions not mentioned above, will be decided by the Trust/Management with the approval of Chairman, AAI.

Hindi version of the same will follow.

This issues with the approval of competent authority.


(Sanjay Jain)
Executive Director (HR)

Distribution:

- DGM (ES) to Chairman
- DGM(ES)to Member(Plg)/Member(Fin.)/Member(HR)/Member(ANS)/ Member(Ops) / CVO
- ED(Fin)/All HoDs at CHQ/Operational Offices/AAI Office Complex
- GM(IT) for uploading on AAI website/All GM (HR)
- General Secretary- AAOA(I)/ ATC(Guild)/ AAI Engg. Guild (I)/IAAIOA/ AAI SC/ST Association
- General Secretary, AAEU